//

कार्यालय नगर पालिक निगम, रायगढ़ (छ.ग.)

Phone No. : - 07762-222911, Fax No. : - 07762-222923
Email : - nraigarh@ymail.com website – www.nagarnigamraigarh.com

क्रमांक 933 /जल वि. /न.पा.नि. /2024 रायगढ़, दिनांक 09/07/2024

–: द्वितीय ई–प्रोक्योरमेंट निविदा आमंत्रण सूचना :–

नगर पालिक निगम, रायगढ़ क्षेत्रांतर्गत स्थित 17 एम.एल.डी जल उपचार संयंत्र के एक्चुएटर वाल्व नवीन पंप स्थापना एवं सिविल कार्य, कार्य की लागत राशि **189.88/- लाख रु,** अमानत राशि 1,42,500.00/- रू. निविदा प्रपत्र शुल्क 3000.00/- रू. हेतु (PWD Road & Building SOR 2015/PHED SOR 2020 Amd No. 07) से लागू SOR से कम/अधिक अथवा समान दर पर सक्षम श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदारों से निविदा प्रपत्र "अ" "ब" में दे होगा। उपरोक्त कार्य की सामान्य शर्तें, विस्तृत निविदा दस्तावेज व अन्य जानकारी System Tender No. 155904. ई–प्रोक्योरमेंट वेब पोर्टल https://eproc.cgstate.govt.in/ WWW.nagarnigamraigarh.com / uad.cg.gov.in से देखी जा सकती है, निविदा प्रपत्र के साथ निर्धारित प्रपत्र शुल्क डी.डी. के माध्यम से एवं अन्य दस्तावेज दिनांक 26-07-2024. अपरान्ह 04:00 बजे तक रपीडपोस्ट/पंजीकृत डाक से मुहर बंद पद्धति से आमंत्रित की जाती है।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम
रायगढ़ (छ.ग.)

पृ. क्र. 933/जल वि./न.पा.नि./2024 रायगढ़, दिनांक 09-07-24
प्रतिलिपि :–

1. मान: महापौर/सभापति/प्रभारी जल सदस्य (MIC) नगर पालिक निगम, रायगढ़ को सादर सूचनार्थ।
2. आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, रायगढ़ को सादर सूचनार्थ।
3. प्रोगामर डाटा सेंटर, संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास, अटल नगर नवा रायपुर (छ.ग.) को विभागीय वेबसाईट में अपलोड किये जाने हेतु सूचनार्थ।
4. प्रभारी जनसंपर्क नगर पालिक निगम, रायगढ़ को विज्ञापन देने कार्यवाही हेतु पालनार्थ।
5. संपादक दैनिक समाचार पत्र .... को .... से.मी. में प्रकाशन हेतु प्रेषित।
6. कार्यालय नगर पालिक निगम रायगढ़ के नोटिस बोर्ड में चरपा हेतु।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम
रायगढ़ (छ.ग.)

D:\JAL V\WD bhav&nivida\Nivida 2023-24\JV Nivida PPR.docx

कार्यालय नगर पालिक निगम, रायगढ़ (छ0ग0)

//नियम एवं शर्तें//

1. ठेकेदार का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र, आयकर प्रस्तुत करने की विवरणीय वर्ष 2021–22 से पुराना मान्य नहीं होगा, जी.एस.टी. विभाग में पंजीयन की प्रति, दस्तावेज के साथ रू. 100 के स्टॉम्प पेपर में मूल शपथ पत्र जिसमें कार्य अधूरा नहीं छोड़ने तथा फर्म अथवा उसके सदस्यों के नाम की अन्य फर्म को किसी विभाग/संस्था द्वारा काली सूची में नाम दर्ज नहीं होने का उल्लेख किया गया हो। निर्धारित प्रपत्र शुल्क का डी.डी. एवं अमानत राशि का टी.डी.आर. /एफ.डी.आर. प्रस्तुत करना होगा तथा समस्त दस्तावेज संलग्न किया जाना होगा। आवश्यकता पड़ने पर शपथ पत्र के अतिरिक्त मूल अभिलेख प्रस्तुत करना होगा। समाचार पत्र में प्रकाशित निविदा सूचना में (उक्त दिनाँक में) जितने कार्यों का उल्लेख होगा, उसमें मूल शपथ पत्र सम्मिलित वाली निविदा में भाग लेना अनिवार्य होगा तथा कार्य के स्वसत्यापित प्रति प्रस्तुत कर सकते है परन्तु यह सुविधा अन्य दिनाँक में प्रकाशित निविदा सूचना के लिए प्रभावशील नहीं होगी।
2. निर्धारित प्रपत्र शुल्क का डी.डी. एवं अमानत राशि का टी.डी.आर./एफ.डी.आर. प्रस्तुत करना होगा।
3. निविदा संबंधी दस्तावेज व अमानत संबंधी लिफाफा स्पीड पोस्ट/पंजीकृत डाक द्वारा ही प्राप्त किये जावेंगें। अन्य किसी माध्यम से जैसे व्यक्तिगत या कोरियर आदि से भेजे गये निविदा स्वीकार नही की जावेगी। निर्धारित तिथि व समय के पश्चात प्राप्त निविदायें स्वीकार नहीं की जावेगी एवं न ही खोली जावेगी तथा वापस दी जावेगी डाक विलम्ब के लिए नगर पालिक निगम, रायगढ़ जिम्मेदार नहीं होगा।
4. अमानत राशि के रूप में टी.डी.आर./एफ.डी.आर./एस.टी.डी.आर. आयुक्त नगर पालिक निगम रायगढ़ के नाम से देय होगा।
5. निविदा मूल्य का 15% समतुल्य राशि का बैंक सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट (Financial capacity certificate) जमा करना अनिवार्य होगा।
6. रायल्टी क्लियरेंस प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करने के उपरान्त ही अंतिम देयक का भुगतान किया जावेगा।
7. निर्माण कार्य में प्रयुक्त सामग्री तथा सी.सी क्यूब तथा नगरीय प्रशासन कार्यालय से टेस्टींग रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद अन्तिम देयक देय होगा, अन्तिम देयक के लिए कम से कम 15% (पन्द्रह प्रतिशत) राशि रोकी जावेगीं। टेस्टींग कार्य ठेकेदार को निगम द्वारा अधिकृत प्रयोगशाला से स्वयं के व्यय से कराना होगा।
8. निविदा स्वीकृत की वैधता 120 दिनों की होगी। दरें समस्त करों सहित मान्य होगी। पृथक से किसी भी कर का भुगतान नहीं किया जावेगा। बाजार दर में वृध्दि होने के स्थिति में पृथक से कोई राशि देय नहीं होगी।
9. ठेकेदार को उनके निविदा में उल्लेखित प्रस्तुत दर कम/अधिक प्रतिशत पर ही किये गये कार्य का भुगतान किया जावेगा। कार्य के दौरान मूल्य वृद्धि (Price Escalation) की गणना किसी भी स्थिति में नही की जावेगी। सभी देयकों में से अन्य आवश्यक कटौतियों के साथ 05% (पांच प्रतिशत) परफॉर्मेन्स राशि अतिरिक्त सुरक्षा राशि के रूप में रोकी जावेगी जो लोक निर्माण विभाग में प्रचलित नियमानुसार अवधि तक रोकी जावेगी। आगामी वर्ष के अवधि में निर्देशित सुधार कार्य करने के बाद रोकी राशि देय होगी। जब तक ठेकेदार के द्वारा अन्तिम देयक का भुगतान प्राप्त नहीं कर लिया जाता है तब तक परफॉर्मेस अवधि प्रभावशील नही होगी। सशर्त निविदा मान्य नहीं की जावेगी। ठेकेदार को कार्य पूर्ण होने के बाद प्रतिवर्ष सितम्बर माह सूचना देना होगा कि कार्य स्थल का निरीक्षण कर सुधार हेतु अवगत कराया जावें।
10. एस.ओ.आर. से दस प्रतिशत से कम निविदा दर प्रस्तुत करने की स्थिति में लागत मूल्य के आधार पर अन्तर की राशि का एफ.डी.आर. या अन्य माध्यम से पन्द्रह दिवस में निविदा स्वीकृत की सूचना प्राप्त होने में जमा कराना होगा अन्यथा निविदा स्वतः निरस्त हो जावेगी एवं भविष्य की निविदाओं में भाग लेने से प्रतिबंधित किया जा सकता है।
11. कार्य स्थल में विवाद होने की स्थिति में निविदा निरस्त करते हुए निविदा प्रपत्र के मूल्य के अलावा अन्य जमा करायी गयी राशि वापस करते हुए अनुबंध समाप्त कर दिया जावेगा। ऐसी स्थिति में कोई क्षतिपूर्ति राशि देय नहीं होगी।
12. कार्य गुणवत्ता पूर्ण संपादित कराने का दायित्व ठेकेदार का होगा जिसके समर्थन में संपादित कराये गये कार्य में प्रयुक्त समाग्रियों के खपत के अभिलेख दैनिक रूप से संधारित किया जाना होगा जिसे कार्यालय द्वारा मांग किये जाने पर प्रस्तुत करना होगा।
13. कार्य का अन्य विवरण, देयक से काटी जाने वाली राशि एवं नियम शर्तें कार्यालय में कार्यालयीन अवधि में देखा जा सकता है।
14. नियम एवं शर्तें अनुबंध का एक भाग होगा।
15. किसी भी निविदा को बिना कारण बताए स्वीकृत/अस्वीकृत/निरस्त करने का अधिकार आयुक्त, नगर पालिक निगम, रायगढ़ के पास सुरक्षित रहेगा।
16. निर्धारित तिथि पर अवकाश होने पर निविदा तिथि आगामी दिवस को मान्य होगी।
17. लिफाफा में स्टेपलर से पिन किया हुआ मान्य नहीं होगा एवं लिफाफा को पूर्णतः बंद करना होगा तभी मान्य होगा अथवा बंद लिफाफा पूर्ण रूप से चिपकाने अथवा स्टेपलिंग करने के बाद चिपकाना अनिवार्य होगा।
18. संचालक नगरीय प्रशासन एवं विकास का पत्र दिनांक 28.05.2020 के तहत कार्य की गुणवत्ता में सुधार हेतु स्नातक/डिप्लोमा, इंजीनियर रखना अनिवार्य होगा। जिन ठेकेदारों के पास निकाय में 20 लाख रू. मूल्य के कार्य आबंटित है उन्हें डिप्लोमा, इंजीनियर एवं इससे अधिक मूल्य के कार्यो के पर्यवेक्षण हेतु स्नातक अभियंता को नियुक्त करना होगा, जो चेक लिस्ट तैयार करे। ठेकेदार अपने इंजीनियर से देयक तैयार कराकर प्रस्तुत कर सकेगा जिसका परीक्षण/सत्यापन निगम के अभियंता द्वारा किया जावेगा जो अंतिम एवं बंधन कारी होगा।

19. निविदा राशि का कार्य संपादित नहीं कराने में कोई क्षतिपूर्ति देय नहीं होगी। कार्य की आवश्यकतानुसार 25 प्रतिशत अधिक मूल्य तक का एस.ओ.आर. में प्रावधानित कार्य स्वीकृत निविदा दर से कराया जा सकेगा।

20. कार्य कार्यादेश जारी होने के सात दिवस के अन्दर प्रारंभ कर उल्लेखित समयावधि में पूर्ण किया जाना आवश्यक रहेगा। अतः वही ठेकेदार निविदा में भाग ले जिसके लिए उनके पास संसाधन उपलब्ध हो ऐसी सलाह दी जाती है।

21. प्रस्तावित कार्य आवश्यक स्वरूप के होने से उन्हें तत्काल प्रारम्भ कर आबंटित समय सीमा में पूर्ण करना होगा। कार्य प्रारम्भ नहीं करने अथवा धीमी गति से संपादित करने पर आनुपातिक रूप से कार्य की प्रगति नहीं होने पर समयवृद्धि समाप्त होने के पूर्व भी कार्य को निरस्त कर दिया जावेगा। ऐसी स्थिति में शेष निविदा राशि के कार्य के लिए अपात्र होंगे। देयक से काटी गई सुरक्षा राशि एवं अन्य भुगतान नियमानुसार कार्य पूर्ण होने के पश्चात् दण्ड शुल्क एवं विलम्ब शुल्क की कटौती पश्चात् देय होगा।

22. आबंटित समय सीमा में कार्य प्रारंभ नही करने पर ठेकेदार द्वारा निविदा में भाग लेते समय जमा करायी गयी राशि को राजसात कर अनुबंध समाप्त कर दिया जावेगा तथा एम.आई.सी. में ठेकेदार के 01 वर्ष हेतु अयोग्य घोषित करने हेतु प्रकरण प्रस्तुत किया जावेगा जो मान्य होगा।

23. निविदा दर स्वीकृत पश्चात अनुबंध संपादन का आशय स्वतः कार्य करने की स्वीकृत नहीं है। कार्य प्रारंभ करने की पूर्व फोटो उपलब्ध कराना ठेकेदार का दायित्व होगा। कार्यादेश जारी होने के बाद उप अभियंता से ले आऊट प्राप्त कर कार्य प्रारंभ किया जावें।

24. समय–समय में शासन/उच्च अधिकारियों द्वारा जारी निर्देश स्वतः प्रभावशील होगे।

25. विज्ञापन में संलग्न एन.आई.टी. कराये जाने वाले कार्यो का स्वरूप है। वास्तविक कार्य एस.ओ.आर. में उल्लेखित आईटम से जुड़े हो सकते है जिन्हें पुनरीक्षित पृथक तकनीकी स्वीकृति के साथ उपलब्ध कराया जावेगा।

26. शासन से आबंटन प्राप्त होने पर ही भुगतान किया जावेगा। शासन से आवंटन किश्तो में प्राप्त होने की स्थिति में प्राप्त आवटंन अनुसार अनुपातिक आधार पर भुगतान किया जावेगा। विलम्ब से भुगतान होने पर कार्य को बंद नहीं किया जा सकेगा व कोई क्षतिपूर्ति देय नहीं होगी।

27. नगरीय प्रशासन एवं विकास के अधिकारियों द्वारा निरीक्षण उपरांत दिये गये निर्देश/सुधार का पालन किया जाना बंधनकारी होगा।

28. निविदा प्रस्तुत करने के लिए ठेकेदार को निम्न दस्तावेजों/सत्यप्रतिलिपि अपलोड करना अनिवार्य होगा अन्यथा निविदा पात्र नहीं किया जावेगा।

    अ. वैध ठेकेदार पंजीयन की जीवित प्रमाण पत्र की प्रति।

    ब. पैन कार्ड की छायाप्रति, जी.एस.टी. रजिस्ट्रेशन की प्रति।

    स. इनकम टैक्स प्रस्तुतीकरण की प्रति जो 2021–22 से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए।

29. दो या दो से अधिक संबंधित व्यक्ति जो एक ही प्रोपाराईटर अथवा भागीदार के रूप में हितबध्द है, समान कार्य के निष्पादन के लिए निविदा प्रस्तुत नहीं कर सकेंगे। कार्यादेश जारी होने के बाद इस आशय की जानकारी प्राप्त होने की स्थिति के भुगतान स्थगित करते हुये सक्षम प्राधिकारी के निर्णय अनुसार अग्रिम कार्यवाही किया जावेगा जिसमें निविदा निरस्त कर जमा राशि राजसात की स्थिति भी हो सकती है।

30. एक्चुएटर वाल्व एवं नवीन पंप के स्थापना कार्य के अतिरिक्त **PLC-Scada System** में स्वयं के व्यय से इंटीग्रेशन करना अनिवार्य होगा।

31. ठेकेदार संविदा के अंतर्गत संपूर्ण कार्य अथवा किसी भी भाग किसी अन्य पक्ष अथवा पक्षों का समनुदेश न अथवा उप पट्टे पर नहीं होगा। कार्यो को सबलेट नहीं किया जा सकेगा।

32. ऐसे ठेकेदार जो कि आबंटित कार्यों को अधूरा छोड़ने के कारण दंडित किया गया हो अथवा ब्लेक लिस्टेड ठेकेदार उक्त निविदा में भाग नहीं ले सकते। संज्ञान में आने पर कार्य उसी स्तर पर समाप्त कर दिया जावेगा एवं उक्त ठेकेदार के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।

33. ठेकेदार को साझेदारी फर्म होने की दशा में पार्टनरशिप डीड की सत्य प्रतिलिपि संलग्न करना होगा।

34. छ.ग. वर्क्स डिपार्टमेन्ट मेन्युअल में दिये गये समस्त निर्देशों का पालन करते हुए गुणवत्तापूर्वक कार्य निर्धारित समयावधि में पूर्ण किया जाए।

35. भुगतान में किसी तरह का अतिरिक्त भुगतान संज्ञान होने पर एजेन्सी से वसूली की जावेगी, जिसके लिए निविदाकर्ता बाध्य है। राजस्व वसूली के समान भरपाई की जावेगी।

36. निविदा में अंकित नॉन SOR की दरें प्रस्तुत की जावें, जिसमें विस्तृत स्पेशिफिकेशन एवं वारेन्टी/गारेन्टी का उल्लेख किया जावें, कम से कम 02 वर्ष किया जावें।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम, रायगढ़

Draft

Conditions of Pre-Qualification and Eligibility of Applicants

S. No.	Eligibility Criteria	Supporting document tobe Submitted
1. A)	**Legal Entity:** The Bidder should be a company registered under the Companies Act, 2013 OR the Companies Act, 1956 OR a partnership firm registered under LLP Act, 2008 / Indian Partnership Act, 1932 OR the Societies Act 1860 or a Proprietorship Firm having valid registration certificate and should be in existence in India for at least the last 5 years as on 31.03.2023.	Bidder should submit the duly notarised documents as following: a) Certificate of Incorporation / registration b) Copyof GST Registration Certificate. c) Copy of PAN
B)	The Bidder should have a registered office and operations in Chhattisgarh. The Bidder should be operational in India for at least last 5 years as of 31st March 2023. Consortium/ Joint venture is not allowed.	Bidder should submit the duly notarised documentsas following: a) Certificate of incorporation / LLP registered in India.
2.	The Bidder should have Experience of executing at least 1 assignment of Supply, Commissioning, Operation or Maintenance of Same type of Work .	Bidder should submit the duly notarized documents as following: a) Bidder should submitthe PO / Work Ordersalong with copy of agreement
3.	Financial Capacity: **Turnover:** The Bidder should have minimum 50 Lakhs as average annual turnover from consulting services only during last three audited financial years (2020-21, 2021-22 & 2022-23). **Net worth:** Bidder* should have positive Net worth after tax during last three audited financial years (2020-21, 2021-22 & 2022-23). Net worth (NW) = Share Capital + Reserves and Surplus - Miscellaneous Expenditure - Revaluation Reserves, if any	Bidder should submit anyof the following: a. Copies of Certified audited Financial statements/ Balance sheet / Profit & Loss statement for last Three financial yearsas of 31st March 2023. b. Certificate from the statutory auditor /Certificate from CAregarding this condition.
4.	**Blacklisting:** As on date of submission of the proposal, the Bidder shall not be under a declaration of ineligibility for corrupt or fraudulent practices with any of the State government/ Central Government / semi government / PSU / Municipal agencies in India at the time of submission. The Bidder should not have been debarred and/or blacklisted by any **State/Central Govt./ ULB /Semi-Government Organization/ PSU in India**.	a. Bidder should submit Self declaration that the Bidder is not debarred and/or black listed as on the date of issue of this RFP. Self- Declaration Certificate to be enclosed in the bid duly signed by the authorized signatory on its company letter head.

Technical Evaluation

Detailed Marking	Criteria	Maximum Marks
A	**Experience of Firm in Similar Assignments & Turn Over**	**1000**
1.	Total Experience of the bidder in India: (i) <5 Years : - 0 marks (ii) ≥ 5 Years <7 Years :- 100 marks (iii) ≥7 Years:- 200 marks Notarized copy of Partnership Deed/Certificate of Incorporation/LLP registration needs to be submitted.	200
2.	The Bidder should have Experience of executing assignments of Supply, Commissioning, Operation & Maintenance of same type of work (i)<1 Assignment: - 0 marks (ii)≥ 1 Assignment <3 Assignment: - 100 marks (iii)≥ 3 Assignment <5 Assignment: - 200 marks (iv)≥5 Assignment: - 300 marks Note: The works assignments can be either completed or ongoing. Ongoing projects meeting other requirements, which have completed at least 12 months of consultancy from the date of Agreement Signing, as on last day of bid submission; shall be considered as eligible project for evaluation. Work Order, Agreement and Provisional/ Experience/Completion Certificate issued not below the rank of Joint Secretary/ E.E/ Commissioner/Nodal Officer/ Contract Signatory (from Client) needs be submitted.	300
3.	The Bidder should have Experience of executing assignments of Supply, Commissioning, Operation & Maintenance of same type of Work Central/ State Government Department/ Agency/ Company/Society/ ULB each assignment having total project cost as follows during last 5 years preceding the last date of bid submission. (Under such one contract, there might bemultiple project components of different contract amounts, cumulative value of the projects shall be available in the clientcertificate) Min. 3 assignments each having projects executed of total costs 0.8 Cr. – 100 Marks Or Min. 2 assignments each having projects executed of total costs 1.0 Cr. – 150 Marks Or Min. 1 assignment having projects executed of total costs 1.6 Cr. – 250 Marks	250
4.	Average annual turnover of bidder from works services inlast 3 consecutive audited financial years 2020-21, 2021-22 & 2022-23) <50 Lakhs - 0 Marks ≥50 Lakhs <70 Lakhs – 100 Marks ≥70 Lakhs <90 Lakhs – 150 Marks ≥90 Lakhs <100 Lakhs – 200 Marks ≥1000 Lakhs – 25 Marks Copies of Certified audited Financial statements/ CA Certificateneeds to be submitted.	250
Only the bidders qualifying the minimum technical score (700) will be considered for financial evaluation.		

Financial Evaluation
Financial Bid of short-listed Bidders who qualify the minimum eligibility criteria and get past the minimum technical score shall be opened in the presence of the representatives of qualified Bidders, who choose to attend. The financial score shall be given for each bidder. The consultant with lowest financial bid (L1) will be awarded 100% score of 1000. Financial Scores for other consultants will be evaluated using the following Formula, Financial Score (FS) = (Total Financial Quote of L1/ Total Financial Quote of the Consultant under consideration) X 1000

Overall Evaluation :

In determination of the best value bid, the following weightage should be given for the technical and commercial scores of the bidders in a Quality and Cost Based Selection methodology (QCBS):

Technical Score: 70%

Financial Score: 30%

For every bidder the Final Total Score (S) will be calculated using the formula S = 0.70 X TS + 0.30 X FS the bidder with the highest value of S should be selected as the successful bidder.

- If there are multiple bidders scoring same final score, then Authority shall decide the work to be awarded based on the cost implications; wherein the bidder who has higher financial score shall be considered as the preferred bidder.

Notwithstanding anything mentioned herein above, it shall be noted that the final decision of awarding the work shall remain with the Authority, and no bidder shall be allowed to question the decision of the authority. Authority also retains the right to annul the bidding process and re-invite the proposals.

Bidders are advised that selection will be entirely at the combined score achieved and discretion of the Client if two bidders arrive at the similar score, financial score shall prevail. Bidders will be deemed to have understood & agreed that no explanation or justification on any aspect of the Selection Process or Selection will be given by the Client.

Any information contained in the Proposal shall not in any way be construed as binding on the Client, its agents, successors or assigns, but shall be binding against the Bidder if the Bidder is subsequently awarded to it.